

मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है, तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं

THE PARTICULARS OF FACILITIES
AVAILABLE TO CITIZENS FOR
OBTAINING INFORMATION,
INCLUDING THE WORKING HOURS OF
A LIBRARY OR READING ROOM, IF
MAINTAINED FOR
PUBLIC USE

विषय सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
15	मैनुअल-15 सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमे, किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है, तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं	01-03
15.1	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां	01-03

15.1 सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां :-

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विशिष्टियाँ	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में निम्न सुविधा उपलब्ध की गयी है। अ.) निदेशालय स्तर पर उपनिदेशक पशुपालन लोक सूचना अधिकारी है। स.) जिला स्तर पर उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी लोक सूचना अधिकारी है। द.) ब्लॉक स्तर पर वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी सहायक लोक सूचना अधिकारी है। सभी जनपद स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों के पास जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए 25 मैनुअल उपलब्ध होंगे तथा सूचना शुल्क लेने के लिए 385 रसीद बही भी उपलब्ध होगी। सूचना प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर ई0मेल की सुविधा भी उपलब्ध है। पशुपालन विभाग के समस्त सूचनाएं विभाग की वेबसाइट www.ahd.uk.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
पुस्तकालय, वाचन कक्ष की सुविधा	कार्यालय के कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे के मध्य सूचना प्राप्तकर्ता मैनुअलों की हस्तपुस्तिका का अवलोकन करके नियमानुसार सूचना प्राप्त कर सकता है।